न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी– जगदीश आर्य

सिविल प्रकरण संख्याः– 10/2021 तारीख रजू 09.03.2021

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी,कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर।

..........आवेदक

बनाम

1. विजयशंकर शर्मा पुत्र श्री मदनमोहन शर्मा, (एबीओ व मालिक)–फर्म–विजय फूड इन्डस्ट्रीज, प्लाट न0 जी–134, रिको औद्योगिक क्षेत्र खेरदा, सवाई माधोपुर निवासी जी–134, रिको औद्योगिक क्षेत्र खेरदा, सवाई माधोपुर

.... अभियुक्त

न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii) एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

निर्णयः– **दिनांक 01.07.2024**

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री प्रेमचन्द जैन खाद्य सुरक्षा अधिकारी सवाई माधोपुर (आवेदक) ने अन्तर्गत धारा 68 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक दिनांक 01.08.2018 को लगभग 12.30 पी.एम. पर शुद्ध के लिये युद्ध अभियान के तहत फर्म– विजय फूड इन्डस्ट्रीज, प्लाट नं0 जी–134, रिको औद्योगिक क्षेत्र खेरदा, सवाई माधोपुर पर श्री कपिल शर्मा उपखण्ड अधिकारी, सवाई माधोपुर के साथ निरीक्षण हेतु पहुंचा। वहां निरीक्षण के समय मौजूद व्यक्ति ने अपना नाम विजयशंकर शर्मा पुत्र श्री मदनमोहन शर्मा बताया व स्वयं को फर्म का मालिक होना बताया। आवेदक ने विजयशंकर शर्मा को अपना परिचय दिया व परिचय पत्र दिखाया। विजयशंकर शर्मा अपनी डेयरी पर मावा, पनीर, घी आदि खाद्य सामग्री का निर्माण कर आम जनता को डेयरी पर व बाजार में विक्रय करता है। आवेदक ने विजयशंकर शर्मा से फर्म का वर्ष 2020 का खाद्यपदार्थ लाईसेन्स एवं स्वयं का पहचान पत्र दिखाने को कहा तो उसने फर्म का खाद्यपदार्थ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नं0 22218067000286 दिनांक 12.07.2018 एवं स्वयं का फोटो पहचान पत्र दिखाया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण के समय डेयरी के निर्माण व विक्रय इकाई परिसर में एक टब टेंक में आम जनता को विक्रय हेतु खाद्य वस्तु पनीर (खुला) की 17 भेलियां जिनमें प्रत्येक भेली में लगभग 3.5 किलो पनीर है, का निरीक्षण करने पर उनमें मिलावट एवं मिथ्याछाप का शक होने पर मौके पर मौजूद विक्रेता व डेयरी मालिक विजयशंकर शर्मा से पनीर (खुला) में से शुद्धता की जांच हेतु नमूना देने हेतु कहा तथा विक्रेता को नमूना लेने की सूचना जरिये प्रपत्र 5ए तैयार कर उपस्थित गवाहों के हस्ताक्षर करवाकर आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता को देकर एक प्रति पर प्राप्ति के हस्ताक्षर लिये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने डेयरी के निर्माण व विक्रय इकाई परिसर में एक टब में रखी हुयी पनीर (खुला) की एक भेली में से 1 किलो पनीर (खुला) शुद्धता की जांच हेतु नमूना लेने बाबत एक साफ, सूखे व खाली बर्तन में खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता के बताये अनुसार बाजार भाव से 220/– रूपये अक्षरे दो सौ बीस रूपये

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

नगद देकर खरीद की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर करने पर आवेदक ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा खाद्य वस्तु पनीर (खुला) को अच्छी तरह मिक्स कर उसको चार अलग-अलग साफ, सूखे व खाली कांच की शीशीयों में बराबर-बराबर डालकर प्रत्येक शीशी में 20 बूंद फोरमेलीन की डालकर चारो शीशीयों के ढक्कन अच्छी तरह से टाइट बन्द कर चार लेबल तैयार करके उन पर स्थान, दिनांक, खाद्य वस्तु आदि लिखकर स्वंय आवेदक के हस्ताक्षर कर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर करवाकर चार लेबलो को प्रत्येक डिब्बे पर अलग-अलग चिपकाया। प्रत्येक डिब्बे को अलग-अलग ब्राउन पेपर से लपेटकर पेपर के सिरो को गोंद से चिपकाकर डिब्बों पर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्रदत्त एवं हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप मय कोड नम्बर H-1911 गोंद से नियमानुसार प्रत्येक डिब्बे पर चिपकाकर प्रत्येक डिब्बे को एक मोटे मजबूत सख्त धागे से बांधकर चार-चार जगह से चपडी से सील मोहर करके चारो डिब्बों पर यथास्थान विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं सीलबन्द डिब्बों को अपने कब्जे में लिया। मौके पर की गई कार्यवाही की मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसको पढकर सुनकर एवं सही मानकर विक्रेता एवं गवाहान ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नम्बर 6 की छः प्रतियॉ तैयार की जिस पर उस सील का इम्प्रेशन लगाया जिससे मौके पर नमूना सील बन्द किया गया था। उक्त फार्म नम्बर 6 की एक प्रति व नमूने का एक सीलबन्द डिब्बा एक आउटर कवॅर में लपेटकर सील मोहर कर तथा अलग से फार्म नम्बर 6 की 2 प्रतियां एक लिफाफे में सील मोहर कर, आउटर कवर में सील बन्द डिब्बा व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा श्री मोहम्मद असलम वार्ड बॉय कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के द्वारा दिनांक 02.08.2018 को मुख्य खाद्य विश्लेषक जयपुर (राजस्थान) के यहॉ जमा करवाये जिनकी रसीद प्राप्त की। नूमने के दो सील बंद डिब्बे (ii व iii पार्ट) व फार्म नम्बर 6 की दो प्रतियों को एक आउटर कवर में लपेट कर सील मोहर कर तथा नमूने का शेष एक सील बन्द डिब्बा (iv पार्ट) व फार्म नम्बर 6 की एक प्रति को अलग से एक आउटर कवर में लपेट कर सील मोहर कर आवेदक के द्वारा डी.ओ. (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी) सवाईमाधोपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की गयी। आवेदक को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र कमांक एफएसएसए/2020/1982 दिनांक 01.12.2020 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर की जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/1898/एक्ट/2020/1852 दिनांक 20.11.2020 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया खाद्य वस्तु पनीर (खुला) का नमूना अवमानक स्तर (Sub Standard Food of FSSA 2006) प्रकृति का पाया गया। उक्त प्रकरण में विक्रेता/खाद्य कारोबारकर्ता ने अवमानक स्तर (Sub Standard Food) प्रकृति की खाद्य पदार्थ पनीर (खुला) का निर्माण व विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लघंन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में जुर्माने योग्य अपराध है।

न्याय निर्णयन आवेदन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्त को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्त जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुये। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

अभियोजन अधिकारी ने न्याय निर्णयन आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में तर्क दिया कि अभियुक्त ने सबस्टेण्डर्ड प्रकृति के खाद्य पदार्थ पनीर (खुला) का विक्रय एवं निर्माण कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लघंन किया है अतः अभियुक्तगण को अधिकतम शास्ति राशि से दण्डित किया जावे।

अभियुक्त जरिये अधिवक्ता बहस में तर्क दिया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा अभियुक्त की फर्म से पनीर (खुला) का सेम्पल भरा गया था जिसको कोटा की लेब द्वारा अवमानक स्तर (Sub Standard Food) का माना गया है। अन्त में अभियुक्त ने प्रकरण में न्यूनत्तम शास्ति राशि लगाकर प्रकरण का निस्तारण करने हेतु निवेदन किया गया।

उभय पक्ष की बहस सुनने व आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/1898/एक्ट/2020/1852 दिनांक 20.11.2020 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ पनीर (खुला) सबस्टेण्डर्ड प्रकृति का पाया गया है। अभियुक्त द्वारा बहस में जुर्म स्वीकार किया है तथा प्रकरण को न्यूनतम शास्ति राशि अधिरोपित कर प्रकरण को निस्तारण करने का निवेदन किया हैं।

उक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की उप धारा 26 (2)(ii) अपराध कारित करने का दोषी माना जाकर दोष सिद्व अपराधी करार दिया जाता है, चूंकि अभियुक्त द्वारा उक्त आपराधिक प्रकृति का अपराध करना बखूबी साबित होता है। उक्त आपराधिक कृत्य के कारित करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत आर्थिक शास्ति राशि के दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान प्रावधित है।

अतः अभियुक्त को सबस्टेण्डर्ड स्तर (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) प्रकृति के **खाद्य वस्तु पनीर (खुला)** का विक्रय व निर्माण करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के नियम 51 के अन्तर्गत अभियुक्त पर 50,000/—रू0 (अक्षरे पचास हजार रूपये) की आर्थिक शास्ति राशि अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्तगणों को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस के अन्दर—अन्दर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी रेखांकित ड्राफ्ट न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर को जमा करावें, अन्यथा गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को तथा एक प्रति अभियुक्त को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक 01.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश आर्य)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,सवाई माधोपुर